न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2017/00341 **दायरा दिनांक : 01.12.2017**

उनवान

गोकुल सिंह आयु 50 वर्ष आत्मज मोतीलाल, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी रामपुरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ .... अपीलांट

बनाम

1– कालीबाई पत्नी गोकुल सिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी डोल्याखेड़ी
2– बालकंवर पत्नी रतनसिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी गोपालपुरा
3– ममताबाई पुत्र गोकुल सिंह पत्नी दरयाव सिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी कजलास
4– धापूबाई पत्नी नरवर सिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी लाल्याखेड़ी
5– अनीता पत्नी कालूसिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी लोगड़ी, तहसील सुसनेर, जिला आगर मध्यप्रदेश
6– राधाबाई नाबालिग पुत्री गोकुल सिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी रामपुरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़
7– कन्हींराम आत्मज मोतीलाल, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी रामपुरिया
8– राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार पिडावा
9– राज0 सरकार उपपंजीयक पिडावा
10– सम्पत बाई पत्नी बापूसिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी दाता
11– बालू सिंह आत्मज माधो सिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी रामपुरिया
12– मांगू बाई पत्नी रामलाल, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी बोरखेड़ी
13– लीलाबाई पुत्री धूलसिंह पत्नी किशनलाल, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी खेड़ी
14– प्रेमबाई पत्नी पूर सिंह जाति सोंध्या राजपूत, निवासी दाता, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 31.07.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 140/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण 1 लगायत 5 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 91, 92ए, 88, 89, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि मुताबिक जमाबंदी संवत 2063–2066 ग्राम रामपुरिया, तहसील पिडावा में खाता संख्या 164/140 की आराजीयात खसरा नम्बर 25 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 51 की 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 52 की 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 608 की 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 615 की 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 754 की 6 बिस्वा, जाव प्रथम चाह

31/7/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नम्बर 753 से सिंचित चाही प्रथम 5 बिस्वा, चाह नम्बर 753 से सिंचित, खसरा नम्बर 755 की 7 बिस्वा चाही प्रथम चाह नम्बर 753 से सिंचित, खसरा नम्बर 883 की 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 902 की 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 905 की 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 906 की 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 916 की 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 933 की 13 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 942 की 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 945 की 2 बिस्वा गैर मु0 झादा, खसरा नम्बर 946 की 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 947 की 13 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 948 की 13 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 951 की 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 952 की 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 953 की 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 985 की 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 986 की 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 988 की 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1039 की 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1050 की 2 बिस्वा कुल किता 26 कुल रकबा 89 बीघा 6 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 से खाता संख्या 181 ग्राम रामपुरिया, तहसील पिडावा जमाबंदी संवत 2071–2074 के किता 24 रकबा 78 बीघा 6 बिस्वा में वादिनी क्रम संख्या 1 की पुत्रियां बालकंवर, धापूबाई, ममताबाई, अनिता, राधाबाई ना. बा. को खसरा नम्बर 951 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 952 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 948 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 933 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 755 रकबा 7 बिस्वा किता 5 कुल रकबा 40 बीघा 01 बिस्वा में गोकुल सिंह के हिस्सा 1/4 पर नाम दर्ज कर दिया जावे इसके लिए गोकुल सिंह सहमत है, शेष आराजी में गोकुल सिंह का नाम यथावत रहेगा, भविष्य में दोनों पति–पत्नि विवाद नहीं करेंगे इस वाद में मुख्य पक्षकार कालीबाई व गोकुल सिंह है जो पिछले 25 वर्षों से अलग–अलग रह रहे थे, दोनों की सहमति से वाद का निस्तारण किया जा रहा है अन्य पक्षकारों को कोई आपत्ति होती है तो इसके लिये गोकुल सिंह व कालीबाई जिम्मेदार होगे। राजीनामा के आधार पर डिक्री जारी की जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जिसमें वाद के सभी पक्षकार को विधिवत सूचना नहीं दी, न ही वाद के सभी पक्षकारों की उपस्थिति में निर्णय पारित हुआ। जो सहमति अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली पर वर्णित है उसके बारे में तो प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इस आशा व विश्वास में सहमति पर हस्ताक्षर किये थे कि वादग्रस्त सम्पत्ति अपीलार्थी उनकी पुत्रियों को ही देगा अन्य का नहीं। किन्तु उक्त निर्णय व डिक्री में तो अपीलार्थी को हमेशा हमेशा के लिए उसकी खातेदारी से ही वंचित कर दिया है जिसकी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के घोषणात्मक प्रावधान एवं विधिक सेवा अधिनियम के लोक अदालत के प्रावधान तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के उत्तराधिकार के प्रावधान अनुमति नहीं देते हैं। अपीलार्थी को राजीनामा पढ़कर नहीं सुनाया व समझाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में जिसको डिक्री के अधीन फायदा मिला है उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर किसी प्रकार से अपने अधिकार की मांग नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य भी सारभूत न्याय तथा प्रकियात्मक न्याय के प्रावधानों के विपरीत निर्णय व डिक्री दी है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे।

31/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 91, 92-A, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प रामपुरिया में राजीनामें के आधार पर डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामें पर केवल कालीबाई की अंगूठा निशानी दो गवाहो के साथ तथा गोकुलसिंह के हस्ताक्षर होना अंकित है। कालीबाई व गोकुलसिंह की पहचान करने वाले पहचानकर्ता के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। राजीनामें पर अन्य पक्षकारान् के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2017 (2) पेज 1362, वेस्टन लॉ केसेस 2022(7) पेज 193 एवं वेस्टन लॉ केसेस 2015 पेज 705 नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर राजीनामे के आधार पर खातेदार घोषित किया गया। अपीलांट का यह कथन कि सभी पक्षकारान को तामील नहीं हुई, सत्य प्रकट नहीं होता क्योंकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट्स के साथ राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। पक्षकार के स्वयं हाजिर अदालत आने पर तलबी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 12.05.2017 में गोकुल सिंह व कालीबाई के हस्ताक्षर हैं जो गवाह 1 परथी सिंह गवाह 2 भगवान सिंह के हस्ताक्षर से प्रमाणित है जिससे अपीलांट किये गये राजीनामे से बाध्य है।

अपीलांट द्वारा राजीनामा धोखाधड़ी से कराने का तथ्य सही प्रतीत नहीं होता क्योंकि अपीलांट द्वारा धोखाधड़ी या फर्जीवाडे बाबत कोई एफ.आई.आर. या शिकायत दर्ज नहीं करायी गई। अपीलांट यहां विबंध के सिद्धांत (Principle of estoppel) से बाध्य है अर्थात् अपीलांट स्वयं के राजीनामे से बाध्य होने से अपील खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत तथा उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

गोकुल सिंह आयु 50 वर्ष आत्मज मोतीलाल, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी रामपुरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.....अपीलांट

बनाम

1– कालीबाई पत्नी गोकुल सिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी डोल्याखेड़ी
2– बालकंवर पत्नी रतनसिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी गोपालपुरा
3– ममताबाई पुत्र गोकुल सिंह पत्नी दरयाव सिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी कजलास
4– धापूबाई पत्नी नरवर सिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी लाल्याखेड़ी
5– अनीता पत्नी कालूसिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी लोगड़ी, तहसील सुसनेर, जिला आगर मध्यप्रदेश
6– राधाबाई नाबालिग पुत्री गोकुल सिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी रामपुरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़
7– कन्हींराम आत्मज मोतीलाल, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी रामपुरिया
8– राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार पिडावा
9– राज0 सरकार उपपंजीयक पिडावा
10– सम्पत बाई पत्नी बापूसिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी दाता
11– बालू सिंह आत्मज माधो सिंह, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी रामपुरिया
12– मांगू बाई पत्नी रामलाल, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी बोरखेड़ी
13– लीलाबाई पुत्री धूलसिंह पत्नी किशनलाल, जाति सोंध्या राजपूत, निवासी खेड़ी
14– प्रेमबाई पत्नी पूर सिंह जाति सोंध्या राजपूत, निवासी दाता, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. **2017/00341** व नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी,पिडावा**
मु.द.नं **140/2011** निर्णय एवं डिक्री दिनांक – **12.05.2017**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **19** माह **07** सन् **2024**

हाजरी **श्री पूरीलाल राठौर** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से, रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2017 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **31** माह **07** सन् **2024** को जारी किया गया ।

31/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)